चेनाराम बनाम हेमाराम
2023/280
निर्णय दिनांकः—28.03.2025

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः—2023/280 दर्ज तिथिः—27.10.2023

1. चेनाराम पुत्र हीराराम
   जाति जाट निवासी पाबूबेरा,भीमथल, तहसील धोरीमन्ना।

......................प्रार्थी

बनाम

1. हेमाराम दतक पुत्र भीयाराम
2. गंगादेवी पत्नी भींयाराम
   जाति जाट निवासी रामेश्वर नगर बोर चारणान तहसील धोरीमना

..........................असल विप्रार्थीगण

3. तहसीलदार धोरीमना

..........................तकमीली विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री ओमप्रकाश विश्नोई
अप्रार्थीगणः— देवाराम चौधरी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—28.03.2025

प्रार्थना—पत्र

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण [illegible] वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—19[illegible] की [illegible]रा —131,136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी[illegible] खातेदारी भूमि खसरा संख्या 259/3/ मौजा रामेश्वर नगर, [illegible] तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर में अवस्थित है। मूल खसरा संख्या 259 [illegible]बा 14 बीघा भूमि वि[illegible] संख्या 02 के पति द्वारा प्रार्थी को विक्रय कर उस समय मौके पर चल रही नगर [illegible] दिशा में 9—10 बीघा व नहर के पश्चिम दिशा में रकबा 4—10 बीघा का मौके पर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

सुपूर्द किया जिसके अनुसार प्रार्थी का काब्जा काश्त अनवरत चल आ रहा है। हल्का पटवारी द्वारा बेचाणनामा के अनुसार नामान्तकरण करते समय खसरा संख्या 259/3 रकबा 14 बीघा कायम किया लेकिन पृष्ठ भाग पर नक्शा अंकित नहीं किया गया।खसरे ऑनलाईन के दौरान हल्का पटवारी द्वारा बेचाणनामा,व मौके पर कब्जा अनुसार तरमीम नहीं कर प्रार्थी के कब्जे के विपरीत तरमीम अंकित कर दी। जिससे प्रार्थी के कब्जा एवं रेकर्ड में भिन्नता आ गई। अतः प्रार्थी के बेचाननुमा,मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्राथीगण जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना से मौके की वर्तमान तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक 328 दिनांक 07.02.2025 के द्वारा बिन्दुवार मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपनी जांच रिपोर्ट व विगतवार जबाव में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी के खसरा संख्या 259/3 की तरमीम बेचान दस्तावेज व मौके पर कब्जा काश्त व घर के अनुसार अंकित नहीं की गई है। तरमीम दुरस्त किये जाने से रकबा यथावत रहेगा तथा मौके अनुसार रेकर्ड में समानता होगी।
3. तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार नवीन विभाजित खसरे की तरमीम गलत दर्शाई गई है जो परिशिष्ट 'क' अनुसार दर्शाई गई है। नवीन विभाजित खसरे की तरमीम मौका एवं बेचान दस्तावेज के में दर्शाए अनुसार परिशिष्ट 'ख' अनुसार दुरस्त किये जाने का कथन किया गया। अतः खसरा संख्या 259 व 259/3 की परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने पर रेकर्ड एवं मौका में समानता रहेगी इसलिए इसी अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है।

जिरह

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा अंतिम बहस की गई।विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारानकी जिरह सुनी गई। जो कि संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः–

प्रार्थी	अप्रार्थी
प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–131 136 पर बहस	
1. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विप्रार्थी तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा बनाई गई वर्तमान मौका रिपोर्ट में पेश नजरिये नक्शा परिशिष्ट 'ख' के अनुसार खसरा संख्या 259 व 259/3 की तरमीम दुरस्त करने से वास्तविक कब्जे के अनुसार तरमीम हो जाने से मौके पर कोई विवाद नहीं रहेगा तथा तरमीम दुरस्त किये जाने से रकबा यथावत रहेगा। इसलिए परिशिष्ट 'ख' अनुसार तरमीम दुरस्त कर इसी अनुसार नक्शा ट्रैस व ऑनलाईन	1. विप्रार्थी द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 06. 02.2025 के अनुसार दुरस्त करने में सहमति जाहिर करते हुए परिशिष्ट 'ख' के अनुसार तरमीम दुरस्ती करने पर कोई आपति नहीं होने का कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

नक्शे में दुरस्ती का इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें का निवेदन पेश किया।	

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि मौके पर तरमीम त्रुटीपूर्ण है तथा तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट में संलगन नक्शा परिशिष्ट 'ख' के अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु दोनो पक्ष सहमत है तथा उसी अनुसार तरमीम पुनः दुरस्त करने का निवेदन किया गया है।

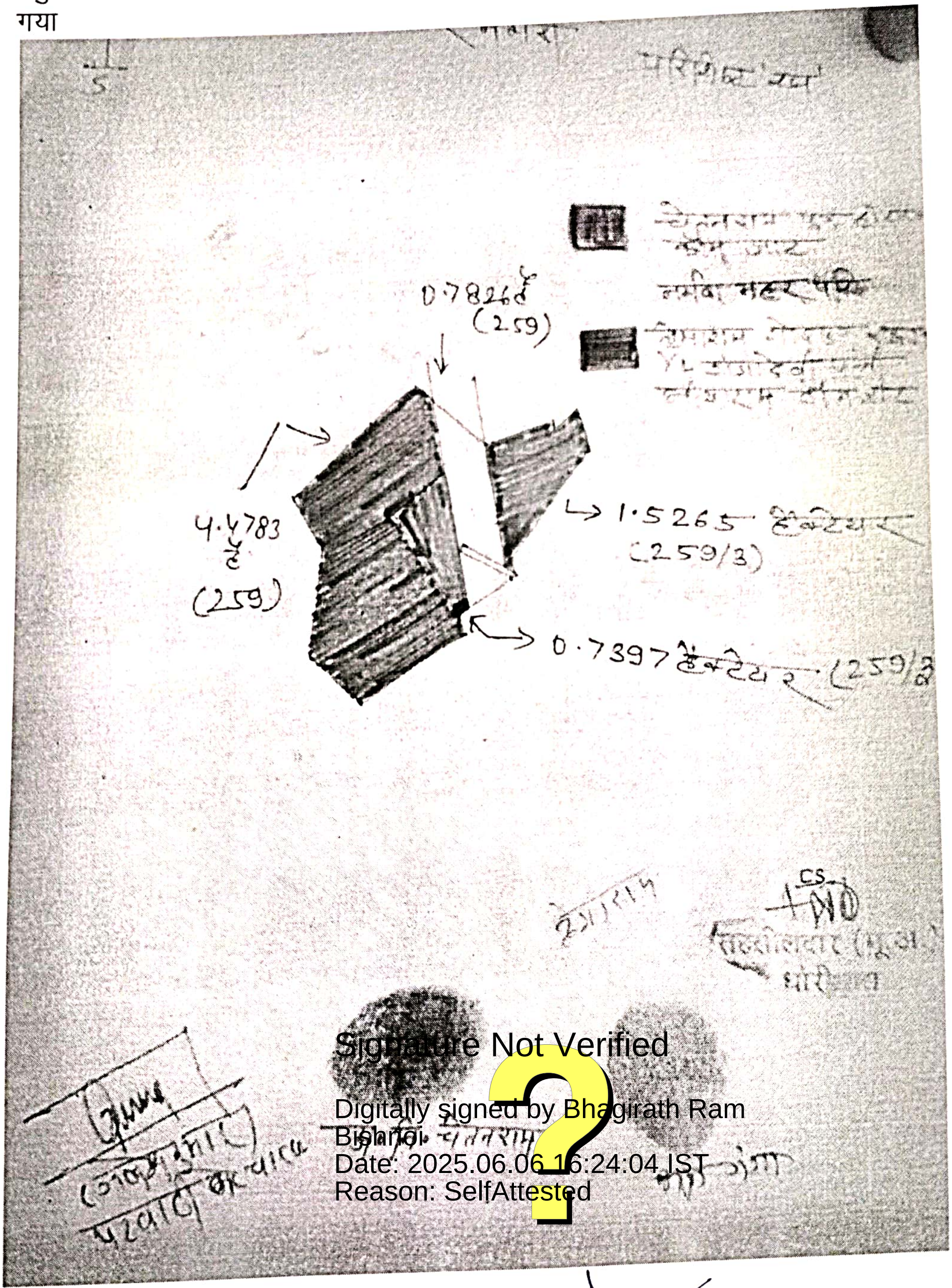

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

चेनाराम बनाम हेमाराम
2023 / 280
निर्णय दिनांकः—28.03.2025

निष्कर्ष

6. इस प्रकार प्रकरण में **सर्वप्रथम** विप्रार्थी के विक्रय उपरान्त निर्मित खसरा संख्या 259 / 3 की वर्तमान तरमीम विक्रय विलेख व मौके पर कब्जा काश्त व बने घर के अनुसार नहीं होने तथा भू—नक्शा में विपरीत अंकित होने से तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2025 के साथ संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट—'ख' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती कर राजस्व रेकर्ड नक्शा दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 06 के निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'ख' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2025 व नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'ख' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना • जिला-बाड़मेर • सत्यमेव जयते

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 28.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

28/3/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:04 IST
Reason: SelfAttested